Agenda-3

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः –

दिनांकः 12/06/2024

विद्या परिषद की 21वीं बैठक दिनांक 12.06.2024 का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 21वीं बैठक दिनांक 12.06.2024 को विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 12:15 बजे आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहें:–

1. प्रोफेसर अनिल कुमार राय	कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ. प्रबोध श्रीवास्तव	(माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा नामित)	सदस्य
3. डॉ. रणवीर सिंह	संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय	सदस्य
4. डॉ. मंजु लाडला,	संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
5. डॉ. भंवर लाल रैगर	संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय	सदस्य
6. डॉ. राकेश कुमार	संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय	सदस्य
7. डॉ. राजवीर सिंह	अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, रसायन शास्त्र	सदस्य
8. डॉ. एन के शर्मा	अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, वनस्पति विज्ञान	सदस्य
9. डॉ. मनोज कुमार	अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, भूगोल	सदस्य
10. श्री महिपाल	अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, अर्थशास्त्र	सदस्य
11. डॉ. महेन्द्र सिंह चौधरी	अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, इतिहास	सदस्य
12. डॉ. राजेन्द्र कुमार	अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, राजनीति विज्ञान	सदस्य
13. डॉ. राजेन्द्र सिंह	अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, हिन्दी	सदस्य
14. डॉ. राम नारायण झा	अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, संस्कृत	सदस्य
15. डॉ. सुरेश	अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, एबीएसटी	सदस्य
16. डॉ. प्रेम परिहार	अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, ईएएफएम	सदस्य
17. डॉ. मधु गढ़वाल	अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, शिक्षा	सदस्य
18. डॉ. अविनाश शर्मा	अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, लोक प्रशासन	सदस्य
19. श्री राकेश कुमार गुप्ता (RAS)	कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत मदों (एजेण्डा) पर निम्नानुसार निर्णय किये गयेः–

1. **एजेण्डा संख्या 1:–** विद्या परिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव।

निर्णयः– विद्या परिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 के कार्यवृत (Minutes) की पुष्टि की गई।

2. **एजेण्डा संख्या 2:–** विद्या परिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 में लिये गये निर्णयों की पालना प्रतिवेदन (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः– विद्या परिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 के पालना प्रतिवेदन (ATR) का अनुमोदन किया गया।

3. **एजेण्डा संख्या 3:–** सत्र 2024–25 के लिये सम्बन्धित अध्ययन मंडलों द्वारा प्रस्तुत कोर्स संरचना/पाठ्यक्रम के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः—सत्र 2024—25 के लिये सम्बन्धित अध्ययन मंडलों द्वारा प्रस्तुत कोर्स संरचना/पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

4. **एजेण्डा संख्या 4:—** विश्वविद्यालय में हो रहे नवाचार तथा प्रगति कार्य हेतु जानकारी प्रस्तुत करना।

निर्णयः—विश्वविद्यालय में हो रहे नवाचार तथा प्रगति कार्य जैसे— डिजिटल मूल्यांकन, अकादमिक संसाधन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति— 2020 का पूर्व रूपेण क्रियान्वयन, सभी स्तर के पाठ्यक्रमों को सेमेस्टर प्रणाली में परिवर्तित करना, डिजिटल पुस्तकालय, प्रतिभा पोषण केन्द्र, कौशल विकास केन्द्र, सामुदायिक रेडियो, नियमित कार्मियों, अधिकारियों, संकाय सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया, विश्वविद्यालय परिसर में नए सत्र से नवीन पाठ्यक्रमों का संचालन इत्यादि के बारे में माननीय कुलपति महोदय द्वारा परिषद के समक्ष विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।

5. **एजेण्डा संख्या 5:—** विश्वविद्यालय परीक्षा 2021 एवं 2022 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उपाधि प्रदान करने हेतु अनुग्रह (Grace) पारित करने का प्रस्ताव।

निर्णयः—विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षान्त समारोह दिनांक 04.07.2024 को आयोजित होने जा रहा है। जिसमें विश्वविद्यालय परीक्षा 2021 एवं 2022 में उत्तीर्ण क्रमशः 151162 एवं 1,00,505 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने तथा कुल 70 विद्यार्थियों (वर्ष 2021 के 33 एवं वर्ष 2022 के 37 योग 70) को गोल्ड मेडल प्रदान करने हेतु अनुग्रह (Grace) पारित करने का निर्णय किया गया।

गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले 70 विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाईट http://www.shekhauni.ac.in पर प्रकाशित है।

6. **एजेण्डा संख्या 6:—** राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के प्रारूप एवं प्रावधानों के अनुरूप एकाधिक प्रवेश—निकास (Multiple Entry-Exit) पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः—राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के प्रारूप एवं प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक एवं परास्नातक स्तर के समस्त पाठ्यक्रमों को सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संयोजित/संचालित किए जाने का निर्णय किया गया। तदनुसार स्नातक तथा परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश—निकास (Multiple Entry-Exit) के प्रावधानों (यथा— स्नातक स्तर पर एकवर्षीय प्रमाण—पत्र के आधार पर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश, दो वर्षीय डिप्लोमा के आधार पर पंचम सेमेस्टर मे प्रवेश इत्यादि एवं परास्नातक स्तर पर एकवर्षीय पी.जी. डिप्लोमा के आधार पर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश) के अनुसार निर्णय किया गया।

7. **एजेण्डा संख्या 7:—** विद्या परिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 में अनुमोदित पाठ्यक्रमों में से सत्र 2024—25 से विश्वविद्यालय परिसर में पाठ्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव।

निर्णयः— विद्या परिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालन हेतु अनुमोदित पाठ्यक्रमों में से सत्र 2024—25 में निम्न पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय किया गया।

(i) M.Sc. - Physics, Chemistry, Botany and Zoology
(ii) MCA, MBA, MPES, MJMC & Master in Library & Information Science
(iii) M.A. – Pol. Science, History & Archeology, Hindi, Music & Dance

पूर्व से संचालित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को आगामी सत्र 2024—25 में भी जारी रखने का निर्णय किया गया।

(i) M.A./M.Sc. – Mathematics, Geography,
(ii) M.Com. – ABST, EAFM & B.Adm.
(iii) M.A. - English & Yoga
(iv) L.L.M.

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विवरणिका तैयार करने एवं शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा स्ववितपोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में शुल्क का निर्धारण किया गया। विभिन्न छात्र संगठन (SFI, ABVP & NSUI) प्रतिनिधियों से संकायाध्यक्षों द्वारा निर्धारित शुल्क पर वार्ता की गई। छात्र संगठनों के द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार संकायाध्यक्षों द्वारा निर्धारित शुल्क का 25–30 प्रतिशत तक ही शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव आया। विद्यार्थियों द्वारा सुझाए गये शुल्क पर स्ववितपोषित योजना के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाना संभव नहीं था, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने केवल परास्नातक स्तर पर प्रोफेसनल पाठ्यक्रमों को ही सत्र 2024–25 से संचालित करने का निर्णय किया। विद्या परिषद की बैठक में इस बिन्दु पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से निर्णय किया कि छात्र संगठनों द्वारा सुझाए गये शुल्क पर स्ववितपोषित योजना के अन्तर्गत ये पाठ्यक्रम चलाया जाना सम्भव नहीं है अतः संकायाध्यक्षों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क के अनुसार ही परास्नातक स्तर के प्राफेसनल पाठ्यक्रमों के साथ पारम्परिक/सामान्य प्रचलित विषयों के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाए। स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रम इस सत्र में स्थगित रखे जाएं।

8. **एजेण्डा संख्या 8:–** सम्बद्धता के अभाव में 9 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर, दिसम्बर 2023 के परीक्षा परिणाम के सम्बंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः– इन महाविद्यालयों के समेस्टर प्रथम के नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा का आयोजन, महाविद्यालयों द्वारा इस सम्बंध में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर किया गया था। वर्तमान समय तक भी इन महाविद्यालयों को राज्य सरकार से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इनको सम्बद्धता भी जारी नहीं की जा सकी है। अतः इन महाविद्यालयों के सम्बंधित पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता के अभाव में प्रवेशित विद्यार्थियों को स्वयंपाठी के रूप में ही परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्णय हुआ है। विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय किया गया कि यदि ये विद्यार्थी अन्य किसी महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में स्थानान्तरण लेना चाहते है तो रिक्त स्थान होने की दशा में इन विद्यार्थियों को इच्छुक महाविद्यालयों में रिक्त स्थान उपलब्ध होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकता है। यद्यपि नियमित विद्यार्थियों के स्थानान्तरण के सम्बंध में पृथक से राज्य सरकार द्वारा नियम संधारित हैं इसलिए इन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का स्थानान्तरण विशेष परिस्थितियों में ही किया जा रहा है जो भविष्य में स्थानान्तरण प्रकरणों में नजीर नहीं बनेंगे।

9. **एजेण्डा संख्या 9:–** राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजकीय महाविद्यालयों में वोकेशनल पाठ्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव।

निर्णयः– उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 13.04.2024 एवं 31.05.2024 के निर्देशानुसार राजकीय महाविद्यालयों में वोकेशनल पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का उल्लेख है। इस सम्बंध में परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय किया इन वोकेशनल पाठ्यक्रमों को राजकीय महाविद्यालयों के साथ निजी महाविद्यालयों में भी संचालित करने की अनुमति दी जाए।

10. **एजेण्डा संख्या 10:–** दोगुणा परीक्षा शुल्क से पूर्व 500/– रू. विलम्ब शुल्क का अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव।

निर्णयः– सर्वसम्मति से निर्णय किया कि वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था– सामान्य शुल्क, 100रू विलम्ब शुल्क एवं दो गुणा विलम्ब शुल्क आदि को ही जारी रखा जाए।

11. **एजेण्डा संख्या 11:–** संकायाध्यक्ष की नियुक्ति आदेश की पुष्टि का प्रस्ताव।

निर्णयः– विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 23995 दिनांक 06.03.2024 के द्वारा प्रों मंजू लाडला, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय, मुकुंदगढ को समाज विज्ञान संकाय का संकायाध्यक्ष (Dean) नियुक्ति के आदेश की पुष्टि की गई।

12. **एजेण्डा संख्या 12:–** सत्र 2023–24 में विभिन्न महाविद्यालयों को प्रदत्त नवीन सम्बद्धता आदेशों की पुष्टि का प्रस्ताव।

निर्णयः–सत्र 2023–24 में विभिन्न महाविद्यालयों यथा (1) राजकीय कन्या महाविद्यालय, परसरामपुरा (नवलगढ) आदेश क्रमांक 21124 दिनांक 05.09.2023, (2) राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजीतगढ (सीकर) आदेश क्रमांक 20355 दिनांक 07.08.2023, (3) राजकीय महाविद्यालय, बिसाऊ (झुंझुनू) क्रमांक 22140 दिनांक 03.11.2023 एवं (4) शेखावाटी शिक्षण संस्थान, नारायण का बास, खुडी बडी आदेश क्रमांक 24960 दिनांक 15.05.2024 को प्रदत्त नवीन सम्बद्धता आदेशों की पुष्टि की गई।

13. **एजेण्डा संख्या 13:–** सत्र 2023–24 में विभिन्न महाविद्यालयों के क्रमोन्नयन आदेशों की पुष्टि का प्रस्ताव।

निर्णयः–सत्र 2023–24 में राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ (सीकर) को आदेश क्रमांक 22136 दिनांक 03.11.2023 के द्वारा स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत किये गये आदेश की पुष्टि की गई।

14. **एजेण्डा संख्या 14:–** सत्र 2023–24 से सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत परीक्षा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा की पुष्टि का प्रस्ताव।

निर्णयः–सत्र 2023–24 में स्नातक स्तर प्रथम वर्ष की सेमेस्टर प्रणाली में आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र भरते समय लिये जाने वाले परीक्षा शुल्क के निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा दिनांक 20.12.2023 की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

15. **एजेण्डा संख्या 15:–** स्नातक स्तर द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थियों की श्रेणी परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

निर्णयः–नियमित विद्यार्थी द्वितीय सेमेस्टर या तृतीय सेमेस्टर में अपनी श्रेणी बदल कर स्वयंपाठी हो सकता है जबकि स्वयंपाठी विद्यार्थी केवल तृतीय सेमेस्टर या पंचम सेमेस्टर में ही नियमित श्रेणी में परिवर्तित हो सकता है। स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर से द्वितीय सेमेस्टर में श्रेणी परिवर्तन (स्वयंपाठी से नियमित) नहीं किया जाए, तृतीय सेमेस्टर में श्रेणी परिवर्तन (स्वयंपाठी से नियमित) किया जा सकता हैं।

16. **एजेण्डा संख्या 16:–** विश्वविद्यालय में स्वीकृत विभागों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विषय विशेषज्ञों की सम्बंधित विषय के अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूची के सम्बंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः– सम्बंधित विषयों के अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत विभागों के विषय विशेषज्ञों की सूची (कार्य सूची की परिशिष्ट) को स्वीकार/अनुमोदन किया गया।

17. **एजेण्डा संख्या 17:–** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयः–

(i) विज्ञान संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ.) रणवीर सिंह ने विभिन्न शोध निर्देशकों के निर्देशन में पंजीकृत शोधार्थियों से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर प्रयोगशाला/पुस्तकालय/अन्य कोई मान्य शुल्क लिये जाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय :–परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के शोधार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का अवलोकन कर शुल्क निर्धारण हेतु सक्षम समिति का गठन कर आगामी कार्यवाही की जाए।

कुलसचिव